6 P.M.
(सांध्य दैनिक)
17/9/15

■ सख्त कानून पर भी 20 साल में सिर्फ 39 मामले दर्ज, 38 विचाराधीन

कोख में हो रहीं हत्याएं
पर कातिल नहीं है कोई

■ भोपाल, नप्र, 17 सितंबर

कोख में बेटियों का कत्ल जारी है। इसका सबूत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के लिंगानुपात के भयावह आंकड़े हैं। चिंता की बात यह है कि बच्चियां जन्म लेने के बाद भी महफूज नहीं हैं। यही वजह है कि 6 वर्ष की बालक - बालिकाओं का लिंगानुपात भी चिंताजनक है। इस पर ताज्जुब की बात यह है कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बने कानून के तहत प्रदेश में 20 साल में महज 39 मामले दर्ज हुए। इनमें से 38 अदालतों में अटके हैं, जबकि एक में आरोपी बरी हो गए।

21 जिलों में हजार बेटों पर 900 से कम बेटिय

जनगणना के मुताबिक मप्र में 1961 में लिंगानुपात 967 था, जो 20 घटकर 918 हो गया है। प्रदेश के 51 में से 21 जिलों में तो एक हजार बे बेटियों की संख्या 915 से भी कम है। इनमें से 10 जिलों में तो लिंग 900 से भी कम है। जबकि वर्ष 2001 में केवल चार जिलों में लिंग 900 से कम था। लिंगानुपात कम वाले जिलों में ग्वालियर, सागर, अशोकनगर, मुरैना, इंदौर, खरगोन, विदिशा, भिंड, छतरपुर, रत टीकमगढ़, नरसिंहपुर, खंडवा, छिंदवाड़ा और राजगढ़ आदि शामिल हैं

आदिवासी क्षेत्र में सुरक्षित हैं कन्या

21 जिलों के अलावा इंदौर में लिंगानुपात 1991 में 940, 2001 में 908 और 2011 में घटकर 901 रह गया। इसको गंभी लेते हुए मानव अधिकार आयोग ने प्रतिवेदन बुलाए थे। इनसे यह निष्कर्ष निकला कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सोनोग्राफी काफी कम हैं। इसलिए लिंगानुपात अधिक है। मसलन डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, अलीराजपुर आदि में बेटियों की तादाद अधि

आयोग की सिफारिशें

- पीएनडीटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों के तत्काल निराकरण के लिए विशेष फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाए जाएं।
- हर सोनोग्राफी सेंटर, जैनेटिक और अल्ट्रासोनिक क्लीनिक को सेटेलाइट आब्जरवेशन सिस्टम, अल्ट्रासाउण्ड ट्रैकिंग टेक्नोलाजी और एक्टिव ट्रेकर से जिले के मुख्य सर्वर से जोड़ा जाए। प्रत्येक सोनोग्राफी की मॉनीटरिंग की जाए।
- एक विशेष सेल बनाया जाए जो पीएनडीटी एक्ट के मामले एकत्र करने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का काम करे।

कानूनी प्रावधान

- भ्रूण हत्या रोकने के लिए लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (पीएनडीटी - 1994 बनाया गया है। इसके तहत यदि भ्रूण परीक्षण मात्र लिंग का प लगाने के लिए कयिा गया है, तो चिकित्सा के व्यवसाय से जुड़े व्यक्तिर जिस व्यक्ति के कहने पर यह परीक्षण किया गया। वे सभी इस कृत्य के दोषी माने जाएंगे।
- परिवार में पुत्र या पुत्री की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से माता - पि डॉक्टर के माध्यम से भ्रूण परीक्षण करवाते हैं, तो ऐसा कृत्य जघन्य अ होगा। इसके लिए दोषी व्यक्ति को 10 हजार तक का जुर्माना और 3 सा की जेल हो सकती है।